आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–45, प्लौट सं0–83/C रकबा 1.01 ए0 पर श्री दुलारे मियां पिता अलीहसन मियां के द्वारा जोत–कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के क्रम में बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया। जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 127/02–03 के द्वारा मौजा–रहेया थाना सं0– 345 के अंतर्गत उक्त खाता सं0– 45, प्लौट सं0– 83/C रकबा 1.01 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री दुलारे मियां पिता अलीहसन मियां के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं0 128/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2002–12 तक रसीद निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।"

अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

18/12/2024

अंचल अधिकारी,
मनातू।

18/12/2024

अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध जमाबंदी केश नं० 126/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा- ~~सीरिज~~ रहेया जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 45, प्लौट 83/C रकबा- 1.010 पर मोहम्मद दुलारे मियाँ पिता- अलीहसन मियाँ के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है उनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया, जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदो० वाद सं० 127/02-03, वि० के अन्तर्गत दिनांक- 1.1.7/03 को मौजा- रहेया थाना नं० 345 के अन्तर्गत उक्त खाता नं० 45 प्लौट नं० 83/C रकबा- 1.010 की बंदोबस्ती उक्त रैयत मोहम्मद दुलारे मियाँ पिता- अली- हसन मियाँ के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा- रहेया के माँग पंजी-II के पेज नं० 128/1 पर दर्ज होकर वर्ष- 2002-12 तक रसीद निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद / अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

3
18/4/2024

विश्वासभाजन
अनिल कु० रजक
रा० उ० निरीक्षक
हलका III

18/04/24
RSI+CI

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.12.23 14:38:15 +05:30
Location: 192.168.234.97